



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271739  
CG-DL-E-11042026-271739

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 2026/चैत्र 21, 1948

No. 252]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 2026/CHAITRA 21, 1948

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2026

सं. 14/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 272(अ).— जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि हाई स्पीड डीजल तेल पर वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के तहत लगाए जाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं।

अतः, वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्: -

वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में, मद संख्या 2 के समक्ष, प्रविष्टि के स्थान पर, "24 रुपये प्रति लीटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2026

**No. 14/2026-Central Excise**

**G.S.R. 272(E).**— WHEREAS, the Central Government on being satisfied that the Special Additional Excise Duty leviable under Section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) on High speed diesel oil, should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in exercise of powers conferred by Section 3B of Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 147 of the Finance Act, 2002, the Central Government, hereby directs that the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002, shall be amended in the following manner, namely: -

In the Eighth Schedule to the Finance Act, 2002, against Item No. 2, for the entry in column (3), the entry "Rs. 24 per litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2026

**सं. 15/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

**सा.का.नि. 273(अ).**— जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि हाई स्पीड डीजल तेल पर वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 और 112 के तहत लगाए जाने वाले सड़क और अवसंरचना उपकरणों को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं।

अतः, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3ख के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8क और वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 111 और 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि उक्त वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्: -

वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची में, मद संख्या 2 के समक्ष, प्रविष्टि के स्थान पर, "36 रुपये प्रति लीटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2026

#### No. 15/2026-Central Excise

**G.S.R. 273(E).**— WHEREAS, the Central Government on being satisfied that the Road and Infrastructure Cess leviable under Sections 111 and 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018) on High speed diesel oil, should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in exercise of powers conferred by Section 3B of Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 8A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and Sections 111 and 112 of the Finance Act, 2018, the Central Government, hereby directs that the Sixth Schedule to the said Finance Act, 2018, shall be amended in the following manner, namely: -

In the Sixth Schedule to the Finance Act, 2018, against Item No. 2, for the entry in column (3), the entry "Rs. 36 per litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2026

#### सं. 16/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

**सा.का.नि. 274(अ).**— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 2 के समक्ष, स्तंभ (4) में, "24 रुपये प्रति लीटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**टिप्पणी.-** मूल अधिसूचना सं. 06/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2026

**No. 16/2026-Central Excise**

**G.S.R. 274(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 06/2026-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 205(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2026, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (4), for the entry, the entry “Rs. 24 per litre” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note.**- The principal notification No. 06/2026-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 205(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2026.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2026

**सं. 17/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

**सा.का.नि. 275(अ).**— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 207 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के समक्ष, स्तंभ (4) में, "42 रुपये प्रति लीटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**टिप्पणी.**- मूल अधिसूचना सं. 08/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2026

**No. 17/2026-Central Excise**

**G.S.R. 275(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 08/2026-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R. 207 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2026, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (4), for the entry, the entry “Rs. 42 per litre” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note.**- The principal notification No. 08/2026-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 207 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2026.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2026

**सं. 18/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

**सा.का.नि. 276(अ).**— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 210 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 2 के समक्ष, स्तंभ (4) में, "31.5 रुपये प्रति लीटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**टिप्पणी.**- मूल अधिसूचना सं. 11/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 210(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2026

**No. 18/2026-Central Excise**

**G.S.R. 276(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2026-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 210 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2026, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (4), for the entry, the entry “Rs. 31.5 per litre” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note.-** The principal notification No. 11/2026-Central Excise, dated the 26<sup>th</sup> March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 210 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2026.